

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब  
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021  
दि.

2021  
1129

विषय:- ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी के खाता सं० 273 में नाम/पिता का नाम/जमिंदार दुरुस्ती करने  
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 273 में  
मेरा नाम/पिता का नाम/जमिंदार गलत रूप से मिश्रा पुत्र रुचिनाथ मीणा दर्ज है। मेरा सही  
नाम/पिता का नाम/जमिंदार मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ मीणा है।  
अतः सही नाम/पिता का नाम/जमिंदार दुरुस्ती कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 273 पर प्रार्थी का  
नाम/पिता का नाम/जमिंदार मिश्रा पुत्र रुचिनाथ मीणा दर्ज है। प्रार्थी ने सम्पत्ति पत्र एवं  
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जमिंदार मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ मीणा  
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी (प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का  
नाम/पिता का नाम/जमिंदार मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ मीणा दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः  
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जमिंदार मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ मीणा दर्ज किये जाने की अभिशंका  
की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी  
प. 2. मिश्रा

हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सीतापुरा

क्रमांक 17

दिनांक 14/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सीतापुरा भू०अ०नि० वृत्त अ०क एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति पत्र एवं  
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 273 में  
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जमिंदार सही रूप से मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ मीणा दर्ज किये जाने  
की अभिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

460  
251  
क्रमांक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली  
कैम्प/21

दिनांक:- 14/10/21

तहसीलदार दूनी की अतिशुशानुमार ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी  
के 2077 के खाता के खाता सं 273 पर दर्ज मिश्रा पुत्र रुचिनाथ  
के स्थान पर मिश्रीलाल पुत्र रुचिनाथ दर्ज साफ रिपोर्ट के  
की आज्ञा पाटिल की जाती है

उपखण्ड अधिकारी  
देवली (व.क.)